

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 871]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 नवम्बर 2025 — कार्तिक 26, शक 1947

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक File No. RULE-801/97/2025-MRD.— खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि राज्य के समस्त कलेक्टर, अपने-अपने जिलों के लिए सतही अधिकार के भूमिस्वामियों को खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 52 के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली प्रतिकर एवं नियम 53 के अंतर्गत क्षति के लिए मुआवजे की राशि का अवधारण एवं निर्धारण कर, प्रत्येक वर्ष 30 जून तक या उसके पूर्व, उसका भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 अक्टूबर 2025

क्रमांक File No. RULE-801/97/2025-MRD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक File No. RULE-801/97/2025-MRD दिनांक 23-10-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 23rd October 2025

NOTIFICATION

File No. RULE-801/97/2025-MRD.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the mines and minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, directs that all collectors in the State shall determine and assess for their respective district, the amount of compensation under rule 52 and compensation for damages under rule 53 of the Mineral (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 to be paid to owners of surface rights and ensure payment thereof on or before 30th June of every year.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.